

**बिहार सरकार**  
**सहकारिता विभाग**

पत्रांक...../पटना, दिनांक.....  
03/सह.ब.यो.(आवंटन)-02/2025

प्रेषक,

अभय कुमार सिंह,  
सरकार के अपर सचिव।

सेवा में,

निबंधक,

सहयोग समितियाँ, बिहार, पटना।

विषय:-

वित्तीय वर्ष 2025-26 में बिहार राज्य सब्जी प्रसंस्करण एवं विपणन योजना अंतर्गत प्रखंड स्तर पर गठित प्राथमिक सब्जी उत्पादक सहकारी समितियों (PVCS) में तरकारी आउटलेट संरचना निर्माण करने हेतु कुल 200 PVCS के लिए प्रति PVCS रू० 7,44,000/- की दर से कुल राशि रू० 14,88,00,000/- की स्वीकृति के विरुद्ध ऋण मद में स्वीकृत 25 प्रतिशत राशि अर्थात् रू० 3,72,00,000/- (तीन करोड़ बहत्तर लाख) रुपये के आवंटन के संबंध में।

महाशय,

विभागीय स्वीकृत्यादेश ज्ञापांक-275, दिनांक-01.08.2025 के आलोक में वित्तीय वर्ष 2025-26 में राज्य स्कीम मद में निम्नांकित बजट शीर्ष के सामने कॉलम-03 में अंकित राशि का आवंटन दिया जाता है:-

| क्र.सं. | बजट शीर्ष                                                                                                                                                                                                                                                                 | आवंटित राशि (रूपये में)                     |
|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|
| 1       | 2                                                                                                                                                                                                                                                                         | 3                                           |
| 1.      | मांग संख्या-09, मुख्य शीर्ष-6425 सहकारिता के लिए कर्ज, उप मुख्य शीर्ष-00, लघु शीर्ष-108-अन्य सहकारी समितियों को कर्ज, उप शीर्ष-0120-सब्जी आधारित सहकारी समितियों को प्रोत्साहन, विपत्र कोड- 09-6425001080120, विस्तृत शीर्ष-55-ऋण एवं अग्रिम, विषय शीर्ष-01-ऋण एवं अग्रिम | रू० 3,72,00,000/-<br>(तीन करोड़ बहत्तर लाख) |

2. उपर्युक्त आवंटन वित्त विभाग के पत्र सं०-227/वि०, दिनांक-28.03.2025 के अंतर्गत बिहार विनियोग (संख्या-02) अधिनियम, 2025 एवं वित्त विभाग के पत्र संख्या-235/वि० दिनांक-01.04.2025 के आलोक में दिया जा रहा है। वित्त विभाग के परिपत्र सं०-2561 दिनांक-17.04.1998 में निहित शर्तों/अनुदेशों का अनुपालन किया जाना निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी द्वारा आवश्यक होगा।

3. इसमें सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है।

विश्वासभाजन,

ह०/-

(अभय कुमार सिंह),  
सरकार के अपर सचिव।

ज्ञापांक—...../पटना, दिनांक—.....  
प्रतिलिपि:— महालेखाकार, बिहार, पटना/कोषागार पदाधिकारी, सचिवालय कोषागार, विकास भवन, पटना को मुहरबंद लिफाफा में सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह०/—  
सरकार के अपर सचिव।

ज्ञापांक—51 (आ०)...../पटना, दिनांक—12/08/2025.....  
प्रतिलिपि:— निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, कार्यालय निबंधक, स०स०, बिहार, पटना/उप सचिव, सहकारिता विभाग, बिहार, पटना/आंतरिक वित्तीय सलाहकार/विपत्र लिपिक, कार्यालय निबंधक, स०स०, बिहार, पटना (दो मूल प्रतियों में)/विभागीय आई०टी० मैनेजर, सहकारिता विभाग, बिहार, पटना को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

सरकार के अपर सचिव।